न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 6/14 दायरा दिनांक 25.06.14

पीठासीन अधिकारी :– श्री हनुमान सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. कल्याण पुत्र गोपीलाल जाति सहरिया निवासी बालापुरा तहसील किशनगंज जिला बारां

– प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 प्रहलाद पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा निवासी लकडाई तहसील किशनगंज जिला बारां

2 जमनालाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा निवासी लकडाई तहसील किशनगंज जिला बारां

3 रामकल्याण पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा निवासी लकडाई तहसील किशनगंज जिला बारां

4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 दिनांक 04.06.1981 आराजी ग्राम बालापुरा ख.नं. 4 रकबा 11.12 बिस्वा

निर्णय दिनांक 18.12.2018

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1981 खिलाफ कानून एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्वातों के विपरीत होने से सवर्था निरस्तनीय है। अप्रार्थी के पिता को किया गया आवंटन ग्राम बालापुरा तहसील किशनगंज हाल पटवार हल्का जलवाड़ा ख.नं. 4 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा उक्त आवंटन के सार्वजनिक स्थल पर उद्योषणा जारी नहीं की गई, बिना उद्योषण के किया गया आवंटन निरस्तनीय है। आवंटित भूमि वक्त आवंटन खाली नहीं थी उक्त भूमि आकूपाईड भूमि की श्रेणी में आती है आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी उक्त भूमि को काश्त करता तथा फसल लेता चला आ रहा है तथा सम्बत् 2016 से उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता भी काब्जि काश्त थे जो 55 वर्ष से भी अधिक समय से प्रार्थी नियमित काब्जि काश्त है। प्रार्थी ने तथा प्रार्थी के पिता ने उक्त आराजी को बडी मेहनत करके पत्थर–डूंड खोदकर काबिज काश्त बनाया है। इस वर्ष भी प्रार्थी ने उक्त आराजी

में सरसों गेहूँ व धनियां की फसल बोई व काटी है। इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन में नियमों की पालना नहीं की गई है आवंटन से प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष भूमि का काश्त करना आवश्यक है लेकिन अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की इसलिए आवंटन निरस्तनीय है। अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है तथा प्रार्थी भूमिहीन है इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन प्रार्थना पत्र प्रपत्र 11 में आवंटित प्रयोजनार्थ भूमि ग्राम गीगचा क्षेत्रफल 15 बीघा अंकित किया गया है इस प्रकार ख.नं. भी अंकित नहीं किया है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अनदेखी कर ग्राम गीगचा की भूमि आवंटन न कर बालापुरा की भूमि आवंटित की गई है तथा अप्रार्थी ग्राम लकडाई के रहने वाले हैं जिन्होनें मिस रिप्रिजेन्टेशन कर तथा धोखाधडी से आवंटन करवाया है जो खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता गोप्या वल्द घासी जाति सहरिया निवासी बालापुरा को आराजी ग्राम बालापुरा ख.नं. 4 रकबा 13 बीघा 31.05.1963 को आवंटन की गई थी तथा अप्रार्थी के पिता को की गई आवंटित भूमि को नोट खसरा गिरदावरी सम्बत् 2016 से 2019 में कॉलम नं. 41 में अंकित है। सम्बत् 2024 से 2027 के कॉलम नं. 41 में अंकित है इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने बिना जांच किये प्रार्थी की भूमि को आवंटन किया है जो अवैध व शून्य है इस प्रकार आवंटन है जो निरस्तनीय है।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षिय बहस सुनी उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित तत्थों को ही दोहराते हुये बताया कि अप्रार्थी के पिता को ग्राम बालापुरा तहसील किशनगंज हाल पटवार हल्का जलवाडा ख.नं. 4 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा का किया गया आवंटन अवैद्यानिक होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण ग्राम लकडाई के रहने वाले हैं जबकि उन्होनें ग्राम बालापुरा में भूमि आवंटन करवाई है। अपनी बहस में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने यह भी बताया कि आवंटन हेतु आवेदन पत्र में अप्रार्थीगण के पिता द्वारा ग्राम गीगचा में भूमि आवंटन की मांग की गई थी परन्तु उनकी मांग के विपरीत बालापुरा में भूमि आवंटन कर दी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्यरूप से बताया कि अप्रार्थी का आवंटन ख.नं. 4 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा पर प्रार्थी का सम्वत् 2016 के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है साथ ही यह भी बताया कि उक्त भूमि प्रार्थी के पिता गोप्या वल्द घासी जाति सहरिया निवासी बालापुरा को आराजी ग्राम बालापुरा ख.नं. 4 रकबा 13 बीघा दिनांक 31.05.1963 को आवंटन की गई थी तथा अप्रार्थी के पिता को की गई आवंटित भूमि का नोट खसरा गिरदावरी 2016 से 2019 में कॉलम नं.41 में अंकित, सम्वत् 2024 से 2027 के कॉलम 41 में अंकित है, सम्वत् 2036 से 2039 में कॉलम नं. 24 में गोप्या पुत्र घासी का नाम दर्ज है। प्रार्थी के पिता को 13 बीघा आवंटन हुआ है अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा है, खातेदारी मिल चुकी है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से निरस्तनीय है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण का यह कथन कि आवंटन की उद्घोषणा जारी नहीं की गई है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता है। परन्तु प्रार्थी का यह कथन नहीं है कि आवंटन हेतु आवेदन पत्र में आवंटी द्वारा ग्राम गीगचा में भूमि की मांग की गई थी। जबकि उनको ग्राम बालापुरा की भूमि आवंटित कि गई है।

प्रार्थी का यह कथन की उसका कब्जा उक्त भूमि पर सम्वत् 2016 से ही चला आ रहा है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार कब्जा साबित होता है। सम्वत् 2016–2019 व 2024–2027 की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां अनुसार ग्राम बालापुरा के ख.नं. 4 की प्रार्थी के पिता गोप्या सहर के हक में 13 बीघा भूमि आवंटन होना पाया गया है किन्तु विवाद 11.12 बीघा पर है। रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा पर गोप्या पुत्र घासी सहर का कब्जा दर्ज है। इस प्रकार आवंटन के समय उक्त भूमि खाली नहीं थी आवंटन के समय पटवारी हल्का कि रिपोर्ट में भी इसका हवाला नहीं दिया गया। प्रार्थी का सबसे महत्वपूर्ण कथन व विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। यह विवादित भूमि प्रार्थी के पिता को दिनांक 31.05.1963 को रकबा 13 बीघा आवंटित हो चुकी थी। अप्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। इसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी से होती है। जिस पर गोप्या पुत्र घासी सहर को उक्त भूमि आवंटन होने का नोट अंकित किया हुआ है।

इस प्रकार विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कभी काब्जा काश्त नहीं रहा है। परन्तु इस प्रकार का कोई नोट पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित नहीं है साथ ही आवंटन हेतु आवेदन पत्र की पुश्त पर अंकित रिपोर्ट पटवारी में पटवारी द्वारा दर्ज **Nil** व पटवारी के हस्ताक्षर स्याही से हैं जबकि ख.नं. व रकबा (अन्य स्याही) बॉल पेन से लिखें गये है। हस्ताक्षर व रिपोर्ट पटवारी एवं कार्य आवंटन प्रर्ति में विरोधाभाष अप्राथीगण ने बाबजूद सूचना इस पर अपना कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकार दिनांक 31.05.1963 को ग्राम बालापुरा की ख.नं. 4 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन करने से पूर्व आवंटन कमेटी के समक्ष उक्त भूमि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने से पूर्व से ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य (सहरिया) के कब्जे में होने से आवंटित की गई भूमि को पुनः आवंटित कर दिया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बालापुरा की आराजी ख.नं. 4 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा का गोपीलाल पुत्र बालाजी जाति बैरवा का आवंटन निरस्त किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद (बारां)